## मध्यप्रदेश वन विभाग

वन अपराध का प्रतिवेदन, प्रपत्र रेज केश न()
१:- अपराध होने का दिनांक
२:- पकडने वाले कर्मचारी का नाम व ओहदा
३:- स्थान जहां अपराध हुआ
४:- अपराधी का नाम व पूरा पता
५:- वन उपज का पूरा-पूरा उल्लेख
६:- अपराध का प्रक्ररण म०प्र० वन विभाग
की धारा के अंतर्गत हुआ।
७:- साक्षियो का पूरा नाम व पता
8:- वन उपज हस्तगत करने के पश्चात किसके जुम्मे की गई
९:- जांच अधिकारी का नाम व ओहदा
१०:- जांच का समय
११:- अपराधी ने अपराध करना स्वीकार किया या नही
१२:- अपराधी द्वारा पूर्व में कितने बार अपराध किये गये
१३:- अपराधी की परिस्थिति
अपराधी एक हैं या अधिक

विषय:- व	न अपराध !	प्रकरण क	<u>.</u>	दिव	जांक:	đ	ो विवेचना	कर		
अभिसंधान करने बाबत्।										
निवेदन हैं कि परिसर का का श्री										
के द्वारा निरीक्षण किया गया जिसमें निम्नानुसार अवैध कटाई के ठूंठ पाये गये ।										
प्राजति	21/30	31/45	46/60	61/90	91/120	121/150	151/180	१८० से उपर	योग	
तंत्रो का र	।ल्या ∙-									
ठूंठो का मूल्य : ठूंठो पर प्राप्त काष्ट का मूल्य : पुर्नमापन में प्राप्त वनोपज का मूल्य :										
वनरक्षक द्वारा जप्त काष्ठ का मूल्य :										
योग राशि :										
संलग्न गणना पत्रक के अनुसार प्रक्ररण में शुद्ध हानि निम्नानुसार होती हैं।										
शुद्ध हानि - प्रक्ररण में जप्त वनोपज काटिग चालान नम्बर										
					परिक्षेत्र सहायक					
	ति, प्रवनमंडल	अधिकारी	İ							
विषय :- व	ान अपराध	प्रक्ररण व	<u> </u>	दिन	<u>ंक</u> :	বাত	ात्			
निवेदन हैं कि उक्त प्रक्ररण की विवेचना परिक्षेत्र सहायक/वन चौंकी प्रभारी द्वारा की गई हैं प्रक्ररण में दिये गये अभिमत से सहमत हूँ । तथा प्रक्ररण अभिसंधान करने की अनुशसा करता हूँ ।										
							वन परि	रेक्षेत्र अधिव	गरी	

प्रति,

वनपरिक्षेत्र अधिकारी